न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 206/2023 तारीख रजू:—30.10.2023

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. वीरबल पुत्र बाबूलाल जाति कोली निवासी झारेडा रोड, बाईपास पुल के पास, हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————— सायल

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र चन्दर, जाति कोली, निवासी बहादुरपुर, तहसील टोडाभीम, जिला करौली राजस्थान
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली ————————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः—1. श्री संतोष कुमार मुदगल एडवोकेट सायल
2. श्री दिनेश कुमार एडवोकेट गैरसायल प्रतिवादी नं0 1

निर्णय

दिनांक :— 16.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायल ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि सायल ने उपरोक्त उनवानी दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा ठोस एवं मजबूत आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष विरूद्ध गैरसायलान पेश कर दिया है, जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूरी—पूरी संभावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि भूमि खसरा नं0 2597 रकवा 0.50 हैक्टयेर, झारेडा रोड, बाईपास पुल के पास, कस्बा हिण्डौन सिटी, जिला करौली में स्थित है, जिसमें सायल बहिस्सा 5/16128 का रिकॉर्डेड खातेदार है और मुताबिक हिस्सा अपने हिस्से पर काबिज व दखील है, जबकि गैरसायल सं0 1 का उक्त भूमि के किसी भी हिस्से से कोई संबंध किसी भी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिक्रा मद नं0 2 प्रार्थना पत्र सायल को विरासत में प्राप्त हुई है और सायल ने अपने हिस्से की भूमि से एक इंच भी हिस्सा गैरसायल सं0 1 अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को रहन—बय नहीं किया है,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

किन्तु उक्त भूमि कस्बा हिण्डौन सिटी में स्थित है और आम व्याप्त मंहगाई के कारण काफी बेशकीमती भूमि है। सायल ने भूमि खसरा नं0 2597 में अपने हिस्से पर स्वयं के रिहायश हेतु करीब 30 गुना 25 फीट में दासेबंदी कर रखी है, जो कि जमीन स्तर से 4 फीट ऊपर है, शेष सायल के हिस्से की भूमि में सायल काश्त करता है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं0 1 मुठमर्द व बदमाश किस्म का व्यक्ति है, जो सायल के हिस्से की भूमि पर अवैध कब्जा करने की चेष्टा में रहता है और येनकेन प्रकारेण सायल पर सायल के हिस्से की भूमि को दबाव बनाकर औन–पौने दाम की एवज में खरीदना चाहता है। सायल द्वारा इन्कार करने पर जबरन कब्जा करने की धमकी देता है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि वाक्या दिनांक 25.07.2023 की सुबह करीब 10 बजे का है कि सायल आराजी मुतजिक्रा मद नं0 2 प्रार्थना पत्र में अपने हिस्से की देखभाल करने गया तो गैरसायल सं0 1 तीन–चार बदमाश किस्म के व्यक्तियों को लेकर मौके पर आ गया और सायल को धमकाते हुए बोला कि जान की सलामती चाहते हो तो यहां से चले जाओ, तुम्हारे हिस्से की इस भूमि पर मैं कब्जा करूंगा और तुम्हें जबरन बेदखल करूंगा तथा कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा की गयी दासेबंदी पर स्वयं का मकान बनाऊंगा। इस पर सायल ने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो। किन्तु गैरसायल सं0 1 नहीं माना और सायल को धमकाते हुए बोला कि आज के बाद इस जमीन पर कदम रखा तो तुम्हारे हाथ पैर तोड देंगे।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि सायल ने गैरसायल सं0 1 को काफी समझाया व गांव, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी समझवाने का प्रयास किया, किन्तु गैरसायल सं0 1 अजखुद मानने को तैयार नहीं है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि गैरसायल अपने उक्त गैरकानूनी मन्सूबों में कामयाब हो गया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य में भी संभव नहीं होगी। गैरसायल तब तक अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आवेगा जब तक कि उसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं फरमाया जावेगा। गैरसायल को पाबंद किये जाने से उसे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि यह कि प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन का बिन्दू सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायल सं0 1 ना तो स्वयं और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 2597 रकबा 0.50 हैक्टेयर वाके झारेडा रोड, बाईपास पुल के पास, कस्बा हिण्डौन सिटी में सायल के हिस्से 5/16128 के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजामहत मदाखलत पैदा ना करे, सायल को निर्माण करने से नहीं रोके, सायल को बेदखल ना करे, ना ही जबरन कब्जा करे, स्वयं कोई अवैध पुख्ता निर्माण नहीं करे तथा ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे हकूक सायल पर विपरीत प्रभाव पडे। गैरसायलान वादग्रस्त आराजी के संबंध में रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल सं01 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र मद नं0 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में सायल द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध कतई गलत एवम् झूंठा दावा पेश किया जाना स्वीकार है जिसमें जिसमें उसे सफलता मिलने का कोई चान्स भी नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र मद नं0 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। सायल का हिस्सा होना रिकॉर्ड की बातें है। वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि के खातेदार ओमी पुत्र सुबुद्धि जाति कोली निवासी झारेडा रोड रेल्वे फाटक के पास महावर कोलोनी हिण्डौन से उसके खाता संख्या 1473 कुल किता 166 कुल रकवा 48.66 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डौन सिटी में से खातेदार ओमी पुत्र सुबुद्धी के बाहमी बंटवारे में आयी भूमि खसरा नम्बर 2597 रकवा 0.50 हैक्टयेर में से उसके हिस्से की भूमि में से स्थित कस्बा हिण्डौन में से एक आवासीय नाप 40 x 30 फिट नाप का आवासीय प्लाट जरिये प्रतिज्ञा पत्र 90,000 /– रूपया में दिनांक 01.07. 2016 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। तभी से गैरसायल सं0 1 का उक्त आराजीयात में गैरसायल सं0 1 के आवासीय प्लाट 40 फिट बाई 30 फिट भूमि पर काबिज है। गैरसायल की खातेदार ओमी पुत्र सुबुद्धि से खरीद की गयी भूमि से सायल का कोई वास्ता सरोकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र मद नं0 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 3 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है अस्वीकार है। गैरसायल सं0 1 ने खातेदार ओमी पुत्र सुबुद्धि से 40 फिट बाई 30 फिट की भूमि का प्लाट दिनांक 01.07.2016 को खरीद किया गया है और सभी से गैरसायल सं0 1 का उक्त खरीद शुदा भूमि प्लाट पर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। सायल का गैरसायल की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। सायल अपने हिस्से पर काबिज है।

जबाव प्रार्थना पत्र मद नं0 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 4 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है। गैरसायल सं0 1 बहुत ही सीधा सादा गरीब शांति प्रिय व्यक्ति है। गैरसायल सं0 1 सायल की भूमि पर कोई अवैध कब्जा करने की चेष्टा नहीं रखता है। गैरसायल अपनी खरीद की गयी प्लाट पर काबिज है। जिससे सायल का या अन्य किसी का कोई लेना देना नहीं है और ना ही सायल ने गैरसायल को कोई धमकी ही किसी प्रकार की दी है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र मद नं0 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 5 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है। दिनांक 25.07.2023 को करीब सुबह 10 बजे गैरसायल सं0 1 सायल की किसी भूमि पर नहीं गया और ना ही किसी बदमाश व्यक्तियों को लेकर ही गया था। गैरसायल सं0 1 ने सायल से इस मद में वर्णित कोई बात नहीं कही। गैरसायल सं0 1 ने सायल को कोई धमकी किसी भी प्रकार की नहीं दी। बेदखल करने की कोई धमकी नहीं दी। गैरसायल सं0 1 के प्लाट से सायल का कोई लेना देना नहीं है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र मद नं0 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 6 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है अस्वीकार है। गैरसायल सं0 1 को कानूनन पाबंद नहीं किया जा सकता है।

जबाव प्रार्थना पत्र मद नं0 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 7 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है अस्वीकार है। गैरसायल का कोई गैरकानूनी मंसूबा नहीं है। गैरसायल को पाबंद करने से गैरसायल को अपूर्तनीय क्षति है। गैरसायल को कानूनन पाबंद नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है। सायल को कोई क्षति नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र मद नं0 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 8 गलत है अस्वीकार है। सायल का कोई प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में नहीं है। बल्कि प्रथम दृष्टया केस गैरसायल सं0 1 के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी गैरसायल सं0 1 के पक्ष में है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थनापत्र मद नं0 9 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र में चाही गयी रिलीफ से इंकारी है। सायल व खिलाफ गैरसायल सं0 1 कोई रिलीफ पाने का हकदार नहीं है। गैरसायल सं0 1 को कानूनन पाबंद नहीं किया जा सकता है।

उज्रात मजीद

जबाव प्रार्थना पत्र मद नं0 10 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेविल नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र मद नं0 11 में दर्ज किया है कि खातेदार ओमी पुत्र सुबुद्धी को सायल ने इस मुकदमा में पक्षकार गैरसायल नहीं बनाया है। इस कारण इस मुकदमा में मिस जोईन्डर ऑफ पार्टीज का नुख्स आरिज है। इस कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र मद नं0 12 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं0 1 ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 2597 के खातेदार ओमी पुत्र सुबुद्धि जाति कोली निवासी हिण्डौन से उसके हिस्से की भूमि में से अपना आवासीय प्लाट पूर्व से पश्चिम 30 फिट व उत्तर से दक्षिण 40 फिट नाप का जरिये प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 01.07.2016 को 90,000/– रूपया में खरीद किया था। और उसी समय कब्जा प्राप्त किया था। जिसकी लिखापढी 100 रूपया के एक किता स्टाम्प नम्बर ए सी 846548 व दो सादा पेपर व एक नक्शा कुल किता 4 पर लिखा पढी करके नोटरी पब्लिक श्री दिलीप सिंह कुशवाह एडवोकेट हिण्डौन सिटी से अटेस्टेड करवा दिया था। और लिखापढी गैरसायल सं01 के हवाले कर दी थी।

जबाव प्रार्थना पत्र मद नं0 13 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं0 1 का सायल के हिस्से की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। गैरसायल सं0 1 ने तो खातेदार ओमी पुत्र सुबुद्धि के हिस्से की भूमि में से आवासीय प्लाट खरीद किया है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायल मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। गैरसायल सं0 1 को सायल से हर्जा खर्चा दिलवाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2071–74 पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायल ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2597 रकबा 0.50 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में सायल हिस्सा 5/16128 भाग का रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा औमी पुत्र सुबद्धि जाति कोली हिस्सा 5/2688 भाग का रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2597 रकबा 0.50 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में सायल हिस्सा 5/16128 भाग का रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा औमी पुत्र सुबद्धि जाति कोली हिस्सा 5/2688 भाग का रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार हैं। सहखातेदार औमी पुत्र सुबद्धि जाति कोली से गैरसायल सं01 के द्वारा उक्त भूमि में से एक प्लाट 30 गुणा 40 फिट का क्रय करना जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। उक्त विवादित आराजीयात के अन्य सहखातेदारों को तो गैरसायलान ने से कोई आपत्ति नहीं है तो फिर सायल को क्या आपत्ति है तथा जो आपत्ति दर्ज की है उनके समर्थ में कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। सायल मात्र गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ चाही गई है। उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2597 रकबा 0.50 है0 में सायल मात्र 5/16128 भाग की रिकोर्डेड सहखातेदार होने के कारण सायला के हिस्से में 0.0155 है0 भूमि आती है तथा वह किस दिशा में है यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता कायम नहीं हुआ है तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जबतक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता कायम नहीं हो जावे। यदि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 2597 रकबा 0.50 है0 वाके कस्बा हिण्डौन में सायल अपने हिस्सा 5/16128 को नियमानुसार विधिवत विभाजन कराकर अपना खाता अलग कराने का दावा दायर करना चाहिए था। सायलान ने मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का दावा दायर किया है। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं होता है और ना सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायल के पक्ष में साबित है। बल्कि प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसी स्थिति सायल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 2597 रकबा 0.50 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 16/9/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली